

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/रिफे./जयपुर/2010/ 64

दिनांक: 26 जुलाई, 2012

निदेशक,

अकादमी स्टाफ कॉलेज,

राजस्थान विश्वविद्यालय,

जयपुर।

विषय: दिनांक: 13.08.2012 से 01.09.2012 तक गृह विज्ञान विषय पर आयोजित रिफेशर कोर्स बाबत।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक: एएससी/2012/1253 दिनांक: 04.07.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांक 13.08.2012 से 01.09.2012 तक गृह विज्ञान विषय पर आयोजित रिफेशर कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	श्रुति अग्रवाल	गृह विज्ञान	राज0कन्या0 महा0, बारा
2	अंजली शर्मा	गृह विज्ञान	राज0कन्या0 महा0, रतनगढ़
3	आभा गुप्ता	गृह विज्ञान	राज0कन्या0 महा0 उदयपुर
4	रक्षा नीनामा	गृह विज्ञान	राज0कन्या0 महा0 बांसवाडा
5	ज्योति सचन	गृह विज्ञान	राज0कन्या0 महा0 झालावाड
6	गीता भीणा	गृह विज्ञान	राज0कन्या0 महा0 टोंक
7	सुनीता महलोत	गृह विज्ञान	राज0कन्या0 महा0 बीकानेर
8	दीपा स्वाभी	गृह विज्ञान	राज0कन्या0 महा0 कोटा

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र आप अपने स्तर पर भेजें तथा उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले व्याख्याताओं की सूची निदेशालय को भिजवायें। जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले व्याख्याताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

भवदीय,

ए. निमाजी

संयुक्त निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

दिनांक: 26 जुलाई, 2012

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/रिफे./जयपुर/2010/ 64

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

(अ) मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 13.08.2012 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।

(ब) व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् दो रिफेशर कोर्स करना अनिवार्य है।

(स) सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालयों से रिफेशर कोर्स के लिए मनोनीत किये गये व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए पाबन्द करें, अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी। साथ ही ओरियन्टेशन/रिफेशर कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को छात्रहित को देखते हुए अतिरिक्त कक्षाएं लेकर कोर्स पूर्ण कराने एवं अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें।

2 संबंधित व्याख्याता - यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2013 तक आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

3 निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

4 सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/ जोधपुर/ उदयपुर/ कोटा/ बीकानेर/अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनयन किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।

5 डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर डालने का श्रम करें।

6 रक्षित पत्रावली।

ए. निमाजी

संयुक्त निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर